

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- सं.27(3)(2)पदो./अभि/2022/276-330 दिनांक :- 22/06/2022

:- आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स लेवल -12 में पदोन्नत किया जाता है:-


क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3	4	6	7
1.	श्री कजोडमल मीणा पुत्र श्री छाटेलाल मीणा	एस.टी. (सामान्य रिक्ति के विरुद्ध)	दिनांक 1.4.2022	---
2.	श्री भोमाराम बावल पुत्र श्री पीताराम	एस.सी	दिनांक 1.4.2022	---
3.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण	सामान्य	दिनांक 1.4.2022	---

उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/2008 पार्ट दिनांक 26.05.2022 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
5. सम्बन्धित कार्मिकद्वारा:-सहायक निदेशक अभियोजन
6. निजी पत्रावली/संस्थापन मंत्रालयिक (वरिष्ठ शाखा) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर